

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15301 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1456 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 72/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR.ZAKIR HUSEIN HOS.SOC.LTD.,
SUBHASH DHONDU INGALE
SAU. USHA SUBHASH INGALE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 72/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4655 | 601.00 | 5256.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15302 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1457 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 73/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR.ZAKIR HUSEIN HOS.SOC.LTD.,
SAU. ASHA KISHOR JOSHI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 73/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7145 | 601.00 | 7746.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15303 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1458 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 73/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR.ZAKIR HUSEIN HOS.SOC.LTD.,
JAYRAM SAKHARAM KOLATE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 73/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4745 | 601.00 | 5346.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15304 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1459 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 74/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR.ZAKIR HUSEIN HOS.SOC.LTD.,
SAU. SULABHA DEVDATTA BHAVE
DILIP BALIRAM KASAR

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 74/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7387 | 601.00 | 7988.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15305 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1460 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 74/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR.ZAKIR HUSEIN HOS.SOC.LTD.,
CHINDHABAI UKHARDU TAYADE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 74/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6612 | 601.00 | 7213.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15306 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1461 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 75/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR.ZAKIR HUSEIN HOS.SOC.LTD.,
RAJDHAR LAL
GIRDHAR MALHARI GALAVE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 75/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9060 | 601.00 | 9661.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15307 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1462 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 75/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR.ZAKIR HUSEIN HOS.SOC.LTD.,
TEKCHAND KISAN PARDESHI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 75/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9060 | 601.00 | 9661.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15308 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1463 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 76/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR.ZAKIR HUSEIN HOS.SOC.LTD.,
PARTNER OF BHAKTI BUILDERS,
GAJANAN RAJESHWAR UPASANI
VITTHALDAS RAJESHWAR UPASANI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 76/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7112 | 601.00 | 7713.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15309 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1464 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 76/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR.ZAKIR HUSEIN HOS.SOC.LTD.,
BHOJRAJ SONU RANE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 76/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6432 | 601.00 | 7033.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15310 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1465 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 77/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR.ZAKIR HUSEIN HOS.SOC.LTD.,
HILAL MALHAR1 GAJARE
GULAB SHAMRAO PATIL
DEVIDAS FATTUSINGH SHINDE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 77/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6763 | 601.00 | 7364.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15311 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1466 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 77/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR.ZAKIR HUSEIN'HOS.SDC.LTD.,
UPSANI BUILDERS,
VITTHALRAO RAJESHWAR UPASANI
VIJAY VISHWANATH MOHARIR

सि.स.नं. / गट नं. : 453

भुखंड क्र. : 77/B

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8780 | 601.00 | 9381.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15312 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1467 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 78/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : R.ZAKIR HUSEIN HOS:SOC.LTD.,
J SUDHAKAR SONU RANE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 78/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4753 | 601.00 | 5354.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15313 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1468 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 78/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR.ZAKIR HUSEIN HOS.SOC.LTD.,
RAVINDRA SONU RANE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 78/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4809 | 601.00 | 5410.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15314 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1469 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 79/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR.ZAKIR HUSEIN HOS.SOC.LTD.,
SAU. MANGALA TOTARAM CHAUDHARI .

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 79/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9060 | 601.00 | 9661.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15315 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1470 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 79/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR.ZAKIR HUSEIN HOS.SOC.LTD.,
MADHAV MANIKCHAND PARDESHI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 79/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7527 | 601.00 | 8128.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15316 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1471 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 80/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR.ZAKIR HUSEIN HOS.SOC.LTD.,
KAMALABAI TUKARAM RANDHIR
MADHUKAR TUKARAM SONAR
RAJIV TUKARAM RANDHIR
SAU. SHOBHA VASANTRAO SONAR

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 80/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4880 | 601.00 | 5481.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15317 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1472 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 80/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR.ZAKIR HUSEIN HOS.SOC.LTD.,
SAU. LAXMIBAI RAGHUNATH MALI
SHUBHANGI RANJAN

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 80/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10593 | 601.00 | 11194.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15318 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1473 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 81/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR.ZAKIR HUSEIN HOS.SOC.LTD.,
SH.K_DIR SH.MEHABOOB KHATIK
SH.SALIM SH.KADIR KHATIK

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 81/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9060 | 601.00 | 9661.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15319 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1474 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 81/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR.ZAKIR HUSEIN HOS.SOC.LTD.,
SAU. KAMALABAI NAMDEV PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 81/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3005 | 601.00 | 3606.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15320 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1571 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 9/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
SURESH RAMCHANDRA BAMODKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 9/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8609 | 601.00 | 9210.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15321 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1572 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 9/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
ASHAPAK SHAH USMAN SHAH
(MILIND SHRIDHAR PURANIK)

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 9/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8463 | 601.00 | 9064.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15322 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1573 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 10/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
JITENDRA PRABHAKAR JOSHI
ANIL WAMAN JOSHI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 10/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9060 | 601.00 | 9661.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15323 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1574 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 10/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
NARAYAN RAMDAS TAYDADE
PREMA MOTIRAM SHIRSALE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 10/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6853 | 601.00 | 7454.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15324 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1575 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 11/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
BHAGWAT SUKHEDEV THAKARE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 11/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4605 | 601.00 | 5206.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15325 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1576 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 11/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
SAU. KUSUMBAI JAGNNATH SONAVANE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 11/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8642 | 601.00 | 9243.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15326 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1577 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 12/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
TULSHIBAI DINANATH HIRE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 12/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9060 | 601.00 | 9661.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15327 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1578 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 12/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
SAU. HEMLATA ASHOK RANE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 12/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7945 | 601.00 | 8546.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15328 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1579 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 13/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
PAVIRODDIN NIJAMODDIN

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 13/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4466 | 601.00 | 5067.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15329 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1580 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 13/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
ABILBI MARD CHIRAKHODDIN

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 13/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3072 | 601.00 | 3673.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15330 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1581 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 14/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
DINKAR MAHARU KHARCHANE
RAJENDRA MAHARU KHARCHANE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 14/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9060 | 601.00 | 9661.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15331 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1582 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 14/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
RAMA CHAGAN SONAVANE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 14/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9060 | 601.00 | 9661.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15332 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1583 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 15/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
SAU. DIPTI KESHAV PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 15/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9060 | 601.00 | 9661.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15333 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1584 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 15/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
SUMATI BHASKAR CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 15/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3814 | 601.00 | 4415.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15334 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1585 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 16/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
SUDHAKAR DATTATRYA KULKARNI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 16/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7945 | 601.00 | 8546.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15335 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1586 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 16/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
INDUBAI CHANDRBHAN JAGTAP
BHAGWAT JAMUNAJI CHOUGALE
(DEEPTI KESHV PATIL)

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 16/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 0 | 601.00 | 601.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15336 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1587 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 17/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
HIRAMAN KHANDU SATOTE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 17/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5497 | 601.00 | 6098.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15337 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1588 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 17/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
TAHER KHAN HAYTKHAN PATHAN
ANANDABAI S. HIRAWANE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 17/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9060 | 601.00 | 9661.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15338 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1589 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 18/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
ABHIMAN GAJBHAU SONAVANE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 18/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3855 | 601.00 | 4456.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15339 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1590 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 18/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
GANESH RAJARAM PATIL
TULSHIBAI VISHWANATH PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 18/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9060 | 601.00 | 9661.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15340 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1591 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 19/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
PRATHIBHA MOHAN PATWARI
GANESH MOHAN PATWARI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 19/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9060 | 601.00 | 9661.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15341 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1592 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 19/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
SAU. RATNAPRABHA SUBHASH WANI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 19/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7945 | 601.00 | 8546.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15342 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1593 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 20/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
GANGASING DHANSING SAWAR

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 20/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4257 | 601.00 | 4858.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15343 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1594 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 20/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
RENUKA DAYARAM JADHAV

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 20/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7945 | 601.00 | 8546.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15344 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1595 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 21/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
MAHENDRA DAMODAR AHIRE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 21/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7527 | 601.00 | 8128.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15345 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1596 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 21/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
ARUNA PRAKASH JAGTAP

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 21/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9060 | 601.00 | 9661.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15346 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1597 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 22/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
SANJAY RAJARAM MISTRI
DHANJAY RAJARAM - ROOPAK
RAJARAM MAHADU MISTRI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 22/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3351 | 601.00 | 3952.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15347 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1598 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 22/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
MAHENRAKUMAR RAMCHANDRA PATIL
DEVIDAS WAMAN PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 22/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9060 | 601.00 | 9661.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15348 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1599 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 23/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
SAU. HEMLATA TULSHIRAM LOKHANDE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 23/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8642 | 601.00 | 9243.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15349 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1600 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 23/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
SATISH KASHINATH MULE
CHANDRASHEKHAR DIGAMBAR KULKARNI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 23/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9060 | 601.00 | 9661.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15350 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1601 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 24/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
A.RAZAK SH. INDU.

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 24/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9060 | 601.00 | 9661.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15351 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1602 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 24/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
SAU. SUNANDA DAMODAR PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 24/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8140 | 601.00 | 8741.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15352 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1603 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 25/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
BHUSHAN PRABHAKAR TAYADE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 25/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7393 | 601.00 | 7994.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15353 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1604 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 25/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
KAMALABAI PANDURANG MARATHE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 25/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9060 | 601.00 | 9661.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15354 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1605 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 26/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
HIRAMAN BABURAO PATIL
CHANDRAKANT DEVRAM CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 26/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9060 | 601.00 | 9661.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15355 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1606 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 26/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
P. KALAWATI GOPAL NAYAR
DNYANESHWAR EKNATH DESHMUKH

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 26/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9060 | 601.00 | 9661.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15356 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1607 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 27/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
A. GANI HUSONUDDIN

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 27/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6109 | 601.00 | 6710.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15357 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1608 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 27/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
PRAMOD SHANRAO PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 27/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9060 | 601.00 | 9661.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15358 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1609 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 28/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
SAU. SUNANDA RAMESH CHANDELKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 28/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4865 | 601.00 | 5466.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15359 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1610 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 28/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
SHAHANAJBI MARD GAYURKHAN
(SHANTARAM RAMCHANDRA JADHAV)

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 28/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3839 | 601.00 | 4440.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15360 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1611 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 29/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
SAU. NIRMALA SHANKAR BARI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 29/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4644 | 601.00 | 5245.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15361 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1612 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 29/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
SH. KARIM SH. (AMIR) UMAR

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 29/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4726 | 601.00 | 5327.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15362 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1613 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 30/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
NASIMBI SH. RAHIMUDDIN
NAJAMABI SH. SASHUDDIN
JAINBI SH. RAMJAN

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 30/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6557 | 601.00 | 7158.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15363 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1614 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 30/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
MOH. HUMAMUM MOH. SAEID

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 30/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7666 | 601.00 | 8267.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15364 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1615 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 31/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
VIJAY ARUN BORSE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 31/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9060 | 601.00 | 9661.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15365 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1616 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 31/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
ARJUN SHAMRAO CHARHATE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 31/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7945 | 601.00 | 8546.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15366 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1617 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 32/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
PRABHURADAS RAMDAS BEEN

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 32/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6719 | 601.00 | 7320.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15367 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1618 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 33/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
NIKHIL MADHUKAR JAKATDAR

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 33/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7527 | 601.00 | 8128.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15368 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1619 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 33/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
BHAGAWAN RAMCHANDRA JADHAV

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 33/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9060 | 601.00 | 9661.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15369 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1620 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 32/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
PRAKASH DAGDU MAHAJAN
GANESH TULARAM MAHAJAN
RAJU TULARAM MAHAJAN
SHANKAR TULARAM MAHAJAN
RAMBHAU MANIK MALI

सि.स.नं. / गट नं. : 453

भुखंड क्र. : 32/B

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9060 | 601.00 | 9661.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15370 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1621 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 34/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
NAJIR SARDAR TADAVI
MADHUKAR KADU PATIL
(VIVEK PUNDLIK BAVISKAR)

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 34/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4675 | 601.00 | 5276.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15371 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1622 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 34/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
LAXMUN DAGDU PATIL
PRABHAKAR MOTIRAM SURVADE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 34/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9060 | 601.00 | 9661.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15372 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1623 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 35/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
A. KADAR A. SATTAR

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 35/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5329 | 601.00 | 5930.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15373 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1624 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 35/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
SAU. SADHANA BHUSHAN MUNDADE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 35/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7642 | 601.00 | 8243.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15374 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1625 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 36/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
KANHAIYALAL PANNALAL AJAMERI
RAMCHANDRA GAMBHIR BEDISKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 36/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8294 | 601.00 | 8895.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15375 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1626 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 36/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
SAU. GEETABAI SURESH SURVANSHI
DASHARATH DAMU S.

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 36/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9060 | 601.00 | 9661.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15376 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1627 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 37/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
SINDHUBAI AMBADAS SAPAKE
ASHABAI ASHQK THARUR

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 37/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4446 | 601.00 | 5047.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15377 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1628 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 37/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
SUDHAKAR SHANKAR WAGH

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 37/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4462 | 601.00 | 5063.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15378 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1629 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 38/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
HARUN ISMAIL RANGAREJ

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 38/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5282 | 601.00 | 5883.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15379 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1630 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 38/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
SAHEBRAO RAMSINGH PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 38/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9060 | 601.00 | 9661.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15380 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1631 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 39/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
SAU. INDUBAI PUNDALIK PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 39/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5993 | 601.00 | 6594.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15381 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1632 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 39/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
PRAKASH RAGHOJI TAMBE
SANJAY RAGHOJI TAMBE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 39/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7527 | 601.00 | 8128.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15382 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1633 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 40/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
MQH.YASIN SHEKH SARDAR

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 40/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4380 | 601.00 | 4981.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15383 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1634 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 40/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
A. SAMAD SH. HARUN

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 40/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5493 | 601.00 | 6094.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15384 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1635 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 41/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
ARUN PURSHOTTAM JAWALE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 41/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9060 | 601.00 | 9661.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15385 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1636 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 41/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
SAU. NAHDA ARUN JAWALE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 41/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8642 | 601.00 | 9243.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15386 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1637 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 42/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
HIRAMAN ADHAR THAKUR

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 42/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9060 | 601.00 | 9661.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15387 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1638 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 43/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
P.SINGH HARINAMSIGH RATHOD

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 43/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7527 | 601.00 | 8128.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15388 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1639 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 43/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
RAMDAS WAMAN MISTRI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 43/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9060 | 601.00 | 9661.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15389 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1640 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 44/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
KESHAV KALURAM JADHAV
SAU. MANORAMABAI CHIMAN

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 44/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7225 | 601.00 | 7826.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15390 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1641 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 44/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
MANSUR SH. FAIYAZ
GULAMNABI SH.

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 44/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7402 | 601.00 | 8003.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15391 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1642 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 45/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
ANISABI SARFAYAZKHA .
ARIFKHA SARFAYAZKHA
SHARIFAKHA SARFAYAZKHA
SANINYAJ SARFAYAZKHA

सि.स.नं. / गट नं. : 453

भुखंड क्र. : 45/A

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4746 | 601.00 | 5347.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15392 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1643 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 45/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
SAU. KAMALABAI SHANTARAM CHAVAN
YASHDDA MADHUKAR ATRE
SAU. SHAKUNTALA RAMESH JULOTE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 45/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5840 | 601.00 | 6441.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15393 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1644 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 46/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
SUNIL SHIVRAM BAVISKAR
AMBADAS CHIHDHU PARDESHI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 46/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9060 | 601.00 | 9661.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15394 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1645 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 46/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
REKHA JITENDRA WANI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 46/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9060 | 601.00 | 9661.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15395 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1646 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 47/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
RAMCHANDRA NAMDEV WANKHEDE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 47/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2404 | 601.00 | 3005.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15396 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1647 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 47/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
GULAM DASTAGIR HAJI KAMRUDDUIN

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 47/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9060 | 601.00 | 9661.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15397 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1648 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 48/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
ASHOK TUKARAM MAHAJAN
VIMALBAI PANDURANG SURWADE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 48/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 11177 | 601.00 | 11778.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15398 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1649 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 48/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
SOPAN SHANKAR CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 48/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4597 | 601.00 | 5198.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15399 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1650 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 83 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
KESHAV SHRIDHAR PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 83
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9060 | 601.00 | 9661.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15400 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1651 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 82/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : Dr. ZAKIR HUSEIN HOC. SOC. LTD.,
USHA PRATAP CHORDIYA

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 82/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9060 | 601.00 | 9661.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15401 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 5244 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 76A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : BHAGTI BUILDERA

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 76A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8513 | 601.00 | 9114.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15402 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 5246 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 23/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SATISH KASHINATH MULE
DIGAMBAR KULKARNI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 23/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8095 | 601.00 | 8696.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15403 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 5595 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 57A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHE. MHAMMAD BABAMIYA

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 57A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5036 | 601.00 | 5637.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15404 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 5655 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 79 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : MADHAV MANAKCHAND PARDESI

सि.स.नं. / गट नं. : 453

भुखंड क्र. : 79

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15405 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 5928 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 41 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : ARUN PURUSHOTTAM JVALE

सि.स.नं. / गट नं. : 453

भुखंड क्र. : 41

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | <p>1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे.</p> <p>2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे)</p> <p>3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल.</p> <p>4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल.</p> <p>5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल.</p> <p>6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल.</p> <p>7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील.</p> <p>8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल.</p> |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7287 | 601.00 | 7888.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15406 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 6166 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1680.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 77 PAI |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : BHAIYA UPASANI & ETC.

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 77 PAI
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 252.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 34.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 34.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 34.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 530.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8546 | 605.00 | 9151.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15407 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 6186 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 26B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PURUSHOTTAM DEVRAM SARODE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 26B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8513 | 601.00 | 9114.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15408 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 6303 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 14 B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAMA CHHAGAN SONAWANE

सि.स.नं. / गट नं. : 453

भुखंड क्र. : 14 B

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8513 | 601.00 | 9114.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15409 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 6376 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 63/B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : MANOHAR MURLIDHAR PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 63/B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8522 | 601.00 | 9123.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15410 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 6453 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3340.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 7A/7B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SURAIYYA AJIT SHEK

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 7A/7B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 501.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 67.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 134.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 67.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 167.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 50.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1053.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 167.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 184.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 17208 | 1237.00 | 18445.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15411 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 6454 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3344.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 49A/49B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. JAMILA IKBAL AHAMAD

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 49A/49B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 502.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 67.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 134.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 67.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 67.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 167.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 50.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1054.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 167.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 184.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 17213 | 1238.00 | 18451.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील



स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.

| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15412 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 6457 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1573.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 76A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : **BAKTI BUILDERS**

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 76A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 236.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 31.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 63.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 31.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 31.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 79.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 24.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 495.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 63.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 71.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9073 | 566.00 | 9639.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15413 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 6517 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 11B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : KUSUMBAI JAGANNATH SONAWANE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 11B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9248 | 601.00 | 9849.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15414 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 6524 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4072.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 3B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : S.D. RAJAPUT

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 3B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 611.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 81.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 163.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 81.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 81.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 204.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 61.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1282.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 20.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 204.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 224.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 24032 | 1506.00 | 25538.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15415 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 6525 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 3B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : S.D. RAJAPUT

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 3B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9668 | 601.00 | 10269.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15416 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 6602 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 35B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SADHANA BHUSHAN MUNDADE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 35B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9668 | 601.00 | 10269.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15417 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 6603 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 628.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 32B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SADHANA BHUSHAN MUNDADE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 32B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 94.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 13.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 25.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 13.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 13.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 31.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 9.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 198.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 3.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 25.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 28.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3623 | 226.00 | 3849.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15418 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 6680 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 55B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RADHABAI DEVCHAND BORSE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 55B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| | | | | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8513 | 601.00 | 9114.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15419 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 6870 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 836.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 36A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAMCHANDRA GAMBHIR BEDISKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 453

भुखंड क्र. : 36A

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 125.00 | | <p>1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे.</p> <p>2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे)</p> <p>3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल.</p> <p>4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल.</p> <p>5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल.</p> <p>6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल.</p> <p>7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील.</p> <p>8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल.</p> |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 17.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 33.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 17.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 17.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 42.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 13.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 264.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 33.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 37.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4808 | 301.00 | 5109.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15420 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 6931 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 63 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : MANOHAR M. PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 63
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15421 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 6947 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 67 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : ANVAR SHE. IBRAHIM KHATIK

सि.स.नं. / गट नं. : 453

भुखंड क्र. : 67

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15422 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 7034 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1673.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 58 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHANTABAI GANPAT JADHAV

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 58
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9637 | 601.00 | 10238.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15423 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 7080 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 60A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAKUBAI BANSILAL DHAMNE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 60A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9349 | 601.00 | 9950.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15424 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 7121 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 716.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 25BPAl |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SRM. VIJAYA BHALCHANDRA BHAVE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 25BPAl
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 107.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 14.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 29.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 14.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 14.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 36.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 11.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 225.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 29.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 33.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3997 | 258.00 | 4255.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15425 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 7137 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 725.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 8 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : BHAGVAN MANIK MALI
SHAKUNTALA DULARAM MAHAJAN

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 8
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 109.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 15.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 29.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 15.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 15.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 36.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 11.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 230.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 29.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 33.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4071 | 263.00 | 4334.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील



स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.

| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15426 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 7146 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 52 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : I.B. MARATHE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 52
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9348 | 601.00 | 9949.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15427 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 7175 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 46 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : A.C. PARDESI
S.S. BAVISKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 46
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8235 | 601.00 | 8836.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15428 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 7207 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 44B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHE. MANSUR SHE. FAIYAJ

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 44B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15429 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 7220 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 906.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 10 B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : NARAYAN RAMDAS TAYDE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
 भुखंड क्र. : 10 B
 शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 136.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 18.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 36.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 18.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 18.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 45.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 14.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 285.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 5.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 36.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 41.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5216 | 326.00 | 5542.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15430 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 7262 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 334.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 32/2 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAMBHAU MANIK MALI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 32/2
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 50.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 7.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 13.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 7.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 7.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 5.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 106.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 2.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 13.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 15.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 1849 | 121.00 | 1970.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15431 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 7281 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 9A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SURESH RAMCHANDRA VAMORKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 9A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15432 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 7495 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1680.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 55 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SURESH TULSHIRAM PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 55
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 252.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 34.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 34.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 34.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 530.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9261 | 605.00 | 9866.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15433 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 7556 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 836.04 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 48PAI |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. VIMALBAI PANDURANG CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 48PAI
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 125.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 17.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 33.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 17.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 17.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 42.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 13.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 264.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 33.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 37.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4605 | 301.00 | 4906.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15434 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 7580 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 905.76 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 10BPAI |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : NARAYAN RAMDAS TAYADE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 10BPAI
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 136.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 18.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 36.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 18.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 18.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 45.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 14.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 285.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 5.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 36.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 41.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4989 | 326.00 | 5315.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15435 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 7581 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1624.20 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 56B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAMDAS ONKAR MARATHE

सि.स.नं. / गट नं. : 453

भुखंड क्र. : 56B

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 244.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 32.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 65.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 32.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 32.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 81.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 24.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 510.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 65.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 73.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8943 | 583.00 | 9526.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील



स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.

| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15436 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 7588 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 836.04 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 71 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : A.S. JADHAV

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 71
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 125.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 17.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 33.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 17.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 17.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 42.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 13.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 264.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 33.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 37.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4605 | 301.00 | 4906.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15437 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 7596 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.20 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 16A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUDHAKAR DATTATRAY KULKARNI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 16A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15438 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 7598 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.20 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 2 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. KOKILABAI VITTHAL PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 453

भुखंड क्र. : 2

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9209 | 601.00 | 9810.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15439 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 7649 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.20 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 28 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : NARAYAN NAMDEV SAINDANE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 28
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15440 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 7677 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.20 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 48 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : IRSHADBI SHE. ABBAS
SAU. HIRABAI SITARAM LOHAR

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 48
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15441 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 7691 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 836.04 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 36C |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DASHARATH DAMO SHARDUL

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 36C
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 125.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 17.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 33.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 17.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 17.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 42.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 13.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 264.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 33.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 37.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4396 | 301.00 | 4697.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15442 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8700 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 10A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU. SOC. LTD.
JITENDRA PRABHAKAR JOSHI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 10A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15443 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8701 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 10B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU. SOC. LTD.
NARYAN RAMDAS TAYDE
PREMA MOTIRAM SHIRSALE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 10B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15444 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8702 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 11A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD.
BHAGVAT SUKHADEV THAKARE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 11A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15445 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8703 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 12A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
TULSABAI DINANATH HIRE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 12A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5028 | 601.00 | 5629.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15446 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8704 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 12B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SAU. HEMLATA ASHOK RANE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 12B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7789 | 601.00 | 8390.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15447 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8705 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 13A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
PAVIROUDDIN NIJAMODDIN

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 13A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15448 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8706 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 13B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
AMINBI MARD CHIRAGUDDIN

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 13B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3534 | 601.00 | 4135.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15449 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8707 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 14A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
DINKAR MAHARU KHACHANE
RAJENDRA MAHARU KACHANE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 14A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15450 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8708 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 14B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
RAMA CHAGAN SONAVANE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 14B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9015 | 601.00 | 9616.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15451 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8709 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 15A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SAU. DIPTI KESHAV PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 15A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15452 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8710 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 15B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SUMATI BHASKAR CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 15B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15453 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8711 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 16B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
INDUBAI CHANDRAKANT JAGTAP
DILIP BABURAO KUVAR
BHAGVAT JAMANAJI CHUGULE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 16B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6754 | 601.00 | 7355.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15454 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8712 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 17A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
HIRMAN KHANDU SATORE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 17A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15455 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8713 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 17B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
(TAHERKHA HAYATKHA PATHAN)
ANANDIBAI SOMNATH HIRWADE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 17B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15456 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8714 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 18A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
ABHIMAN GAJMAL SONAVNE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 18A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5453 | 601.00 | 6054.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15457 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8715 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 18B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
GANESH RAMBHAU PATIL
TULSABAI VISHAVNATH PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 18B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15458 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8716 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 19A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
PRATIBHA MOHAN PATWARI
GANESH MOHAN PATWARI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 19A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15459 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8717 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 19B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SAU. RANPRABHA SUBHASH WANI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 19B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15460 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8718 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 20A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
GANGASING DHANSING SAVAR

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 20A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15461 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8719 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 20B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
RENUKA DAYARAM JADHAV

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 20B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7792 | 601.00 | 8393.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15462 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8720 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 21A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
MAHENDRA DAMODAR AHIRE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 21A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15463 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8721 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 21B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
ARUN PRATAP JAGTAP

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 21B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15464 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8722 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 22A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SANJAY RAJARAM MISTRI
RAJARAM MAHADU MISTRI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 22A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15465 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8723 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 22B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
MAHENDRAKUMAR RAMCHANDRA PATEL
DEVIDAS VAMAN PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 22B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15466 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8724 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 23A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SAU. HEMLATA TULSHIRAM LOKHANDE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 23A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15467 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8725 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 24A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
A. RAJJAK SHEKH

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 24A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7792 | 601.00 | 8393.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15468 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8726 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 24B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SAU. SUNANDA DAMODAR PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 24B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7482 | 601.00 | 8083.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15469 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8727 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 25A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
BHUSHAN PRABHAKAR TAYDE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 25A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15470 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8728 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 25B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
KAMALABAI PANDURANG MARATHE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 25B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15471 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8729 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 26A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
HIRAMAN BABURAO PATIL
CHANDRAKANT DEVRAM CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 26A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5032 | 601.00 | 5633.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15472 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8730 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 26B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
LAJVANTI GOPALAN NAYAR
DNYANSHWAR EKNATH DESHMUKH

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 26B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8402 | 601.00 | 9003.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15473 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8731 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 27A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
A GANI HUSANOUDIN

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 27A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15474 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8732 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 27B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
PRAMOD SHAMRAO PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 27B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15475 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8733 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 28A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SAU. SUNANDA RAMESH CHANDELKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 28A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15476 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8734 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 28B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SHAHNAJBI MARD GAYKARKHAN

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 28B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8402 | 601.00 | 9003.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15477 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8735 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 29A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SAU. NIRMALA SHANKAR BARI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 29A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7331 | 601.00 | 7932.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15478 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8736 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 29B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SHE. KARIM SHE.UMAR

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 29B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15479 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8737 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 30B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
MO. HUMAYUD MO.SAID

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 30B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15480 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8738 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 30A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
NASIMBI SHE. RAHIMODDIN
NAJAMABI SHE. SHAMOSHOUDDN
JINABI SHE. RAMJAN

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 30A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15481 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8739 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 31A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
VIJAYA ARUN BORSE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 31A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15482 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8740 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 31B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
ARJUN SHAMRAO CHARHATE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 31B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 2922 | 601.00 | 3523.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15483 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8741 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 32A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
PRABHUDAS RAMDAS BIN

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 32A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15484 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8742 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 32B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
PRASKSH DAGDU MAHAJAN
GANESH TUNIRAM MAHAJAN
RAJU TUNIRAM MAHAJAN
SHANKAR TUNIRAM MAHAJAN
RAMBHAU MANIK MALI

सि.स.नं. / गट नं. : 453

भुखंड क्र. : 32B

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15485 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8743 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 33A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
NIKHIL MADHUKAR JAKATDAR

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 33A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8822 | 601.00 | 9423.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15486 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8744 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 33B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
BHAGVAN RAMCHANDRA JADHAV

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 33B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15487 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8745 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 34A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
NAJIR SARDAR TADVI
MADHUKAR KADU PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 34A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15488 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8746 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 34B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
LAXMAN DAGDU PATIL
PRABHAKAR MOTIRAM SARODE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 34B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15489 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8747 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 35A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
A. KADAR A. SATTAR

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 35A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15490 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8748 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 36A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
KANHAYALAL PANNALAL AJAMERI
RAMCHANDRA GAMBHIR BEDISKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 36A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15491 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8749 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 37B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
GEETABAI SURESH SURYAVANSHI
DASHRATH GHAMA SHARDUL

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 37B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5448 | 601.00 | 6049.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15492 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8750 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 37A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SINDHUABAI AMBADAS SAPKE
ASHABAI ASHOK THAKUR

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 37A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15493 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8751 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 38A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
HARUN ISMAIL RANGREJ

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 38A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6683 | 601.00 | 7284.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15494 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8752 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 38B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SAHEBRAO RAMSING PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 38B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15495 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8753 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 39A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SAU. INDUBAI PUNDLIK PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 39A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15496 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8754 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 39B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
PRAKASH RAGHUNATH TAMBE
SANJAY RAGHUNATH TAMBE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 39B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15497 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8755 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 40A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
MAHAMAD YASIN SH. SARGAR

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 40A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15498 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8756 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 40B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
A. SAMAD SHE. HARUN

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 40B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15499 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8757 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 41A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
ARUN PUROSHOTTAM JAVALE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 41A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15500 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8758 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 41B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SAU. NANDA ARUN JAVALE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 41B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8513 | 601.00 | 9114.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15501 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8759 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 42B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
HIRAMAN ADHAR THAKUR

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 42B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15502 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8760 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 43A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
PAJISKHASINH HARINAMSINH

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 43A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15503 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8761 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 43B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
RAMDAS VAMAN MISTRI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 43B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15504 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8762 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 44A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
KESHAV KALURAM JADHAV
SAU. MANORAMA CHIMAN

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 44A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15505 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8763 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 45A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
ANISABI SARFAYAJ KHA
ARIFKHA SARFAYAJ KHA
SHARIFKHA SARFAYAJ KHA
SAHANIYAJ SARFAYAJ KHA

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 45A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15506 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8764 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 45B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SAU. KAMALBAI SHANTRAM CHAUHAN
YASHODA MADHUKAR ATRE
SAU. SHAKUNTALA RAMESH TOLOTE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 45B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9359 | 601.00 | 9960.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15507 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8765 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 46A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SUNIL SHIVRAM BAVASKAR
AMBADAS CHINDHU PARDESHI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 46A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15508 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8766 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 46B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
REKHA JITENDRA WANI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 46B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15509 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8767 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 47A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
RAMCHANDRA NAMDEV WANKHEDE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 47A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15510 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8768 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 47B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
GULAM DASTIGAIR HAJI KAMARUDDIN

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 47B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15511 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8769 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 48A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
ASHOK TUKARAM MAHAJAN
SAU. VIMALBAI PANDURANG SARODE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 48A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15512 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8770 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 48B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
HANSARAJ SHRIKRISHNA SALUNKE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 48B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15513 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8771 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 49A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
DR. JAMIL IAKBAL AHAMAD

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 49A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15514 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8772 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 49B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
DR. JAMIL IAKBAL AHAMAD

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 49B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15515 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8773 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 50A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
NAJAMABI SHE. BASHIR

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 50A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15516 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8774 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 50B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
BHAGVAT SARDARRAM SURDAS
SAU. VASILABAI HARI WAGH

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 50B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15517 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8775 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 51A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
HASINA CHABU TADVI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 51A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15518 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8776 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 51B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SUHAS SOPAN RANE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 51B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9015 | 601.00 | 9616.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15519 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8777 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 52A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SURESH FAKIRA JADHAV

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 52A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5032 | 601.00 | 5633.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15520 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8778 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 53A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 53A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8404 | 601.00 | 9005.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15521 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8779 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 53B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
JUBEDABI BAP MAHAMAD SHAFI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 53B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7789 | 601.00 | 8390.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15522 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8780 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 54A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
AMARSING JAISING GAYAKWAD

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 54A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15523 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8781 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 54B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SANJAY DATTU DHAKE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 54B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15524 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8782 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 55A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SAKHUBAI TULSHIRAM PATIL
SURESH TUKARAM PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 55A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15525 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8783 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 55B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SOMLAL SHAMLAL LOHAR
PRAMILA CHABILDAS LOHAR

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 55B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15526 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8784 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 56A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SOPAN GOVERDHAN SAPAKALE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 56A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15527 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8785 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 56B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
RAMDAS ONKAR MARATHE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 56B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15528 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8786 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 57B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
HIRABAI CHANGO LONWADI
VISHAVNATH RAGHUNATH SINNKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 57B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7335 | 601.00 | 7936.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15529 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8787 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 58A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
JAINOUDIN FATE MOHAMAD

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 58A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5211 | 601.00 | 5812.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15530 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8788 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 58B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SHANTABAI GANPAT JADHAV

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 58B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15531 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8789 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 59A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
HAKIMABI SHABBIR KHAN

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 59A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5031 | 601.00 | 5632.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15532 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8790 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 59B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SAU. SINDHU ANANDA MEGHE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 59B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4850 | 601.00 | 5451.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15533 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8791 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 60A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SAU. SAKHUBAI BANSILAL DHAMANE
SINDHUBAI KISANBHAI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 60A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15534 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8792 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 60B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
KAMALBAI SUNDARLAL GUPTA

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 60B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15535 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8793 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 61A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
GAJANAN BHAULAL NEVE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 61A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15536 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8794 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 61B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SHE.NISAR AHAMAD MO. ISAMIL

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 61B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15537 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8795 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 62A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
DRAUPADABAI RAMDAS SHIRSALE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 62A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6677 | 601.00 | 7278.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15538 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8796 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 62B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
RAJDHAR VISHRAM PATIL
SATISHKUMAR RAMCHANDRA PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 62B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15539 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8797 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 63A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
CHANDASHEKHAR NAMDEV WANGEKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 63A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15540 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8798 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 63B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
MANOHAR MURLIDHAR PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 63B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15541 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8799 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 647A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SAU. SARALA SATISH MAHAJAN

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 647A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15542 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8800 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 64B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SAU. SARALA SATISH MAHAJAN

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 64B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15543 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8801 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 65A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SAU. MAINABAI PRAKASHCHAND JAIN

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 65A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8402 | 601.00 | 9003.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15544 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8802 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 65B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
PRAKASH DHANWAL JAIN

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 65B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8402 | 601.00 | 9003.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15545 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8803 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 66A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
BHIMRAO MANIK PATIL
(BASHIRA GULAB TADAVI)

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 66A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15546 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8804 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 66B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SAKHUBAI SANTOSH MALI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 66B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15547 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8805 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 67A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SAU.UJAVALA KRISHNA SARAF

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 67A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15548 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8806 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 67B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
PARUTAI PURUSHOTTAM AHIRRAO

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 67B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15549 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8807 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 68A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SAU. SUMATI RAVINDRA SHIMPI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 68A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15550 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8808 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 68B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SOMNATH BABULAL MISTRI
BHAGVAN LUKADU NIKIM

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 68B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15551 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8809 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 69A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
ANWAR SHE. IBRAHIM KHATIK

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 69A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15552 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8810 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 69B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
RANGABAI ITBARKHA TADVI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 69B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15553 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8811 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 70A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
BHAGVAN PUNA PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 70A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15554 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8812 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 70B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SHRIDHAR ONKAR SONAR

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 70B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15555 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8813 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 71A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
ASHOK SONU JADHAV
MILA DAULAT BOTNE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 71A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15556 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8814 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 71B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SAU. MINAKSHI ASHOK GAYAKWAD

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 71B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15557 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8815 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 72A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SUBHASH DHONDU INGLE
SAU. USHA SUBASH INGLE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 72A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5643 | 601.00 | 6244.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15558 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8816 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 72B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SUBHASH DHONDU INGLE
SAU. USHA SUBASH INGLE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 72B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5643 | 601.00 | 6244.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15559 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8817 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 73A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SAU. ASHA KISHOR JOSHI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 73A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5648 | 601.00 | 6249.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15560 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8818 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 73B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
JAIRAM SAKHARAM KOLI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 73B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15561 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8819 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 74A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SAU. SULBHA DEVDATTA BHAVE
DILIP BALIRAM KASAR

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 74A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15562 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8820 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 74B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
CHINDHABAI UKHARDU TAYDE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 74B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5855 | 601.00 | 6456.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15563 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8821 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 75A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
RAJDHAR LALA KARANKAL
GIRDHAR MALHARI JAVALE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 75A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15564 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8822 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 75B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
DEVCHAND KISAN PARDESHI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 75B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15565 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8823 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 76A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
PARINER MALI BUILDERS
GAJANAN RAJESHVAR UPASANI
VITTHAL RAJESHVAR UPASANI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 76A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15566 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8824 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 76B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
BHIJRAJ SONU RAMO

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 76B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 5033 | 601.00 | 5634.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15567 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8825 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 77A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
HILAL MALHARI GAJRE
GULAB SHAMRAO PATIL
DEVIDAS FATTUSING SHINDE
(KISHOR RAMDHAN PATIL)

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 77A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8798 | 601.00 | 9399.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15568 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8826 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 77B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
UPASANI & DEVELOPERS
VITTHALRAO RAJESHVAR UPASANI
VIJAY VISHAVNATH MURARI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 77B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15569 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8827 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 78A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SUDHAKAR SONU RANE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 78A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15570 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8828 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 78B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
RAVINDRA SONU RANE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 78B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15571 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8829 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 79A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SAU. MANGALA TOTARAM CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 79A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 0 | 601.00 | 601.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15572 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8830 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 79B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
MADHAV MANIKCHAND PARDESHI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 79B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15573 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8831 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 80A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
KAMALABAI TUKARM RANDHIR
MADHUKAR TUKARAM SONAR
RAJU TUKARAM RANDHIR
SAU. SHOBHA VASANTRAO SONAR

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 80A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15574 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8832 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 80B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
LAXMIBAI RAGHUNATH MALI
SHUBHANGI RANJAN KULKARNI

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 80B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15575 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8833 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 71A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SHE. KADIR SHE. MEHABUB KHATIK
SHE. SALIM SHE. KADIR KHATIK

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 71A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8724 | 601.00 | 9325.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15576 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8834 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 81B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SAU. KAMALABAI NAMDEV PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 81B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15577 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8835 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 82A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
SAU. RAJI JAIPRAKASH NASAR

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 82A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6065 | 601.00 | 6666.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15578 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 8836 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 82B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKIR HUSEN HAU.SOC.LTD
USHA PRATAP CHORDIYA

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 82B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15579 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 5342 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 836.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 34/A |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : ARUN POPAT BORSE

सि.स.नं. / गट नं. : 453
भुखंड क्र. : 34/A
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 125.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 17.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 17.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 17.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 42.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 13.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 264.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 4.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 33.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 37.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 4256 | 301.00 | 4557.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15580 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 263 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 82 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. JAKIRHUSAIN HOUSING SOC., JALGAON
SAU. RAJI JAY PRAKASH NAYAR

सि.स.नं. / गट नं. : 453 PAI

भुखंड क्र. : 82

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15581 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 6076 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453/2A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 82 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. USHA PRATAP CHORDIA

सि.स.नं. / गट नं. : 453/2A

भुखंड क्र. : 82

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8513 | 601.00 | 9114.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15582 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 6831 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1672.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 453 P |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 73B |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DR. ZAKHIR HUSEN HO. SOSA. LTD.
MEHARUN
JAYRAM SAKHARAM KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 453 P
भुखंड क्र. : 73B
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 251.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 33.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 67.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 33.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 33.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 84.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 25.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 526.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 67.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 75.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9628 | 601.00 | 10229.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15583 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 7332 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 20434.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | TPSIII -453 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 18 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : BHAICHAND HIRACHAND RAISONI

सि.स.नं. / गट नं. : TPSIII -453

भुखंड क्र. : 18

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 3065.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 409.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 817.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 409.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 409.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 1022.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 307.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 6438.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 102.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1226.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1328.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 53137 | 7766.00 | 60903.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15584 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9172 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8275.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. ASHALATA PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 1

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1241.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 166.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 331.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 166.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 166.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 414.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 124.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2608.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 41.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 497.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 538.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 27121 | 3146.00 | 30267.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15585 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9173 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3465.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 2 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAJANIKANT PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 2

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 520.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 139.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1091.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 11032 | 1281.00 | 12313.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15586 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9174 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3465.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 3 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAJANIKANT PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 3

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 520.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 139.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1091.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3841 | 1281.00 | 5122.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15587 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9175 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3465.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 4 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAJANIKANT PRAKASH KALE
(BHARAT PANDIT SHINDE)

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 4

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 520.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 139.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1091.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8326 | 1281.00 | 9607.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15588 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9176 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3465.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 5 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : YUVRAJ PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 5

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 520.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 139.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1091.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7151 | 1281.00 | 8432.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15589 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9177 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3465.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 6 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : YUVRAJ PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 6

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 520.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 139.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1091.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10775 | 1281.00 | 12056.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15590 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9178 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3465.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 7 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : YUVRAJ PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 7

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 520.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 139.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1091.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 12657 | 1281.00 | 13938.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15591 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9179 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3465.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 8 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : YUVRAJ PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A
 भुखंड क्र. : 8
 शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 520.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 139.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1091.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 19676 | 1281.00 | 20957.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15592 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9180 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3465.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 9 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : YUVRAJ PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 9

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 520.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 139.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1091.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10961 | 1281.00 | 12242.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15593 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9181 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3460.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 11 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAGADISH PURANCHAND AGRAWAL

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 11

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 519.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1089.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18112 | 1279.00 | 19391.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15594 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9182 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3457.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 13 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : CHANDRASHEKHAR PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 13

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 519.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1089.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 16928 | 1279.00 | 18207.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15595 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9183 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3457.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 14 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : CHANDRASHEKHAR PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 14

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 519.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1089.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 16928 | 1279.00 | 18207.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15596 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9184 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3457.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 15 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : CHANDRASHEKHAR PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 15

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 519.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1089.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 71387 | 1279.00 | 72666.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15597 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9185 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3457.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 16 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : CHANDRASHEKHAR PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 16

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 519.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1089.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 71387 | 1279.00 | 72666.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15598 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9186 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3457.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 17 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : CHANDRASHEKHAR PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 17

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 519.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1089.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8964 | 1279.00 | 10243.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15599 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9187 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3457.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 18 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : CHANDRASHEKHAR PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 18

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 519.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1089.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 11578 | 1279.00 | 12857.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15600 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9188 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3150.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 19 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAJANIKANT PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 19

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 473.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 63.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 126.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 63.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 63.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 158.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 47.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 993.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 16.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 158.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 174.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9213 | 1167.00 | 10380.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15601 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9189 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3150.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 20 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAJANIKANT PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 20

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 473.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 63.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 126.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 63.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 63.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 158.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 47.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 993.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 16.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 158.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 174.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10147 | 1167.00 | 11314.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15602 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9190 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4095.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 21 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAJANIKANT PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 21

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 614.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 82.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 164.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 82.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 82.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 205.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 61.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1290.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 20.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 205.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 225.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 13231 | 1515.00 | 14746.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15603 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9191 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7009.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 22 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. ASHALATA PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 22

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1051.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 140.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 280.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 140.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 140.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 350.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 105.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2206.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 35.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 421.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 456.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 22960 | 2662.00 | 25622.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15604 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9192 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 5821.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 23 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. ASHALATA PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 23

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 873.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 116.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 233.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 116.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 116.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 291.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 87.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1832.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 29.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 291.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 320.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 33050 | 2152.00 | 35202.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15605 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9193 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6369.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 24 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. ASHALATA PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 24

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 955.00 | | <p>1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे.</p> <p>2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे)</p> <p>3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल.</p> <p>4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल.</p> <p>5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल.</p> <p>6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल.</p> <p>7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील.</p> <p>8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल.</p> |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 127.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 255.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 127.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 127.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 318.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 96.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2005.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 32.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 382.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 414.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 37059 | 2419.00 | 39478.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील



स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.

| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15606 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9194 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7158.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 26 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. ASHALATA PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A
भुखंड क्र. : 26
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1074.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 143.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 286.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 143.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 143.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 358.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 107.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2254.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 429.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 465.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 41649 | 2719.00 | 44368.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15607 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9195 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 10281.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 25 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SANGITA GANESH FIRKE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 25

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1542.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 206.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 411.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 206.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 206.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 514.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 154.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3239.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 51.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 617.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 668.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 7151 | 3907.00 | 11058.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15608 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9196 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3433.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 27 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAJANIKANT PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 27

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 515.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 137.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 172.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 51.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1082.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 172.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 189.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3971 | 1271.00 | 5242.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15609 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9197 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3367.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 28 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAKASH VITTHAL KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 28

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 505.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 67.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 135.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 67.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 168.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 51.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1060.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 168.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 185.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 19115 | 1245.00 | 20360.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15610 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9198 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2700.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 29 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DAGADU KISAN PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 29

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 405.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 54.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 108.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 54.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 54.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 135.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 41.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 851.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 108.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 122.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 14967 | 973.00 | 15940.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15611 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9199 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2700.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 30 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SANJAY GANGARAM PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 30

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 405.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 54.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 108.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 54.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 54.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 135.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 41.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 851.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 108.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 122.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 14967 | 973.00 | 15940.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15612 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9200 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2700.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 31 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PADMAKAR SHANKAR PATL
DILIP KISAN JADHAV

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A
भुखंड क्र. : 31
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 405.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 54.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 108.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 54.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 54.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 135.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 41.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 851.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 108.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 122.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 14967 | 973.00 | 15940.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15613 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9201 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2700.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 33 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : ANANDA DUDKU BHIRHADE
ONKAR PANDIT SAINDANE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A
भुखंड क्र. : 33
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 405.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 54.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 108.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 54.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 54.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 135.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 41.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 851.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 108.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 122.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 14967 | 973.00 | 15940.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15614 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9202 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3404.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 34 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : YUVRAJ PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 34

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 511.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 68.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 136.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 68.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 68.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 170.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 51.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1072.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 170.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 187.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 13220 | 1259.00 | 14479.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15615 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9203 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3960.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 35 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAJANIKAT PRAKESH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A
 भुखंड क्र. : 35
 शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 594.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 79.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 158.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 79.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 79.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 198.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 59.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1246.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 20.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 198.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 218.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 21022 | 1464.00 | 22486.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15616 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9204 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3960.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 36 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : CHANDRASHEKHAR PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 36

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 594.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 79.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 158.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 79.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 79.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 198.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 59.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1246.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 20.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 198.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 218.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9775 | 1464.00 | 11239.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15617 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9205 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3736.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 37 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : ASHALATA PRAKASH KALE
RAJENDRA VITTHAL CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A
भुखंड क्र. : 37
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 560.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 75.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 149.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 75.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 75.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 187.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 56.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1177.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 19.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 187.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 206.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18720 | 1383.00 | 20103.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15618 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9206 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4357.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 38 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAKASH VITTHAL KALE
SAU. ASHALATA PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A
भुखंड क्र. : 38
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 654.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 87.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 174.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 87.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 87.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 218.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 65.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1372.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 22.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 218.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 240.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 24745 | 1612.00 | 26357.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15619 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9207 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3600.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 40 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : UDESING DAGDU PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 40

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 540.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 72.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 144.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 72.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 72.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 180.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 54.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1134.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 18.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 180.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 198.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18244 | 1332.00 | 19576.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15620 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9208 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3600.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 41 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. ASHALATA PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 41

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 540.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 72.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 144.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 72.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 72.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 180.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 54.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1134.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 18.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 180.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 198.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 20444 | 1332.00 | 21776.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15621 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9209 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3600.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 42 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAKASH VITTHAL KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 42

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 540.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 72.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 144.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 72.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 72.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 180.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 54.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1134.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 18.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 180.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 198.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 20444 | 1332.00 | 21776.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15622 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9210 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3600.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 43 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAKASH VITTHAL KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 43

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 540.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 72.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 144.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 72.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 72.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 180.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 54.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1134.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 18.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 180.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 198.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 20444 | 1332.00 | 21776.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15623 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9211 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3600.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 44 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAKASH VITTHAL KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 44

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 540.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 72.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 144.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 72.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 72.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 180.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 54.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1134.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 18.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 180.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 198.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 20444 | 1332.00 | 21776.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15624 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9212 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3600.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 45 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAKASH VITTHAL KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 45

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 540.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 72.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 144.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 72.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 72.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 180.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 54.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1134.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 18.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 180.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 198.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 20444 | 1332.00 | 21776.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15625 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9213 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3600.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 46 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAKASH VITTHAL KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 46

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 540.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 72.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 144.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 72.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 72.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 180.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 54.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1134.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 18.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 180.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 198.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 20444 | 1332.00 | 21776.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15626 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9214 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3600.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 47 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAKASH VITTHAL KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 47

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 540.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 72.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 144.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 72.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 72.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 180.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 54.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1134.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 18.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 180.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 198.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 20444 | 1332.00 | 21776.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15627 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9215 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3733.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 48 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAKASH FEGADE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 48

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 560.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 75.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 149.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 75.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 75.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 187.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 56.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1177.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 19.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 187.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 206.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 11756 | 1383.00 | 13139.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15628 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9216 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3457.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 49 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SURESH GOVINDA MISTARI
SAU. USHA MADHUKAR SONAWANE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A
भुखंड क्र. : 49
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 519.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1089.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 15616 | 1279.00 | 16895.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15629 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9217 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3457.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 50 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : KASTURABAI ANANDA CHAUDHARI
UTTAM ANANDA CHAUDHARI
RATAN ANANDA CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 50

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 519.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1089.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 19639 | 1279.00 | 20918.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15630 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9218 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3465.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 51 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. KASTURA TUKARAM PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 51

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 520.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 139.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1091.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 19672 | 1281.00 | 20953.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15631 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9219 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3456.90 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 52 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DURGADAS DATTATRAY NEVE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 52

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 519.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1089.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 11006 | 1279.00 | 12285.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15632 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9220 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3456.90 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 53 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DURGADAS DATTATRAY NEVE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 53

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 519.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1089.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 11006 | 1279.00 | 12285.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15633 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9221 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3456.90 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 54 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SUNANDA PADMAKAR NAVE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 54

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 519.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1089.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 16919 | 1279.00 | 18198.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15634 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9222 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3518.66 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 55 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SUNANDA PADMAKAR NAVE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 55

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 528.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 70.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 141.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 70.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 70.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 176.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 53.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1108.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 18.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 176.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 194.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 19373 | 1302.00 | 20675.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15635 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9223 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3485.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 56 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SUNANDA PADMAKAR NAVE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 56

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 523.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 70.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 139.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 70.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 70.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 174.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1098.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 174.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 191.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 11088 | 1289.00 | 12377.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15636 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9224 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3457.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 57 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU.SUNANDA PADMAKAR NAVE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 57

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 519.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1089.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 11014 | 1279.00 | 12293.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15637 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9225 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3457.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 58 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DURGADAS DATTATRAY NEVE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 58

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 519.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1089.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 11595 | 1279.00 | 12874.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15638 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9226 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3457.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 59 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DURGADAS DATTATRAY NEVE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 59

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 519.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1089.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 11008 | 1279.00 | 12287.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15639 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9227 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3457.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 60 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DIPAK NARAYAN SALUNKHE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 60

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 519.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1089.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 19063 | 1279.00 | 20342.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15640 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9228 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3457.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 61 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : KUSUMBAI SUKLAL NIKUMBHA

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 61

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 519.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1089.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 11009 | 1279.00 | 12288.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15641 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9229 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3441.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 63 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : ALKA GANESH BAKSHI

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 63

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 516.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 172.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1085.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 172.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 189.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9240 | 1274.00 | 10514.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील
स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15642 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1700 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8275.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. ASHALATA PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI
भुखंड क्र. : 1
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1241.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 166.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 331.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 166.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 166.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 414.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 124.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2608.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 41.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 497.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 538.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 45194 | 3146.00 | 48340.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15643 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1701 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3465.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 2 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAJNIKANT PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 2

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 520.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 139.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1091.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18463 | 1281.00 | 19744.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15644 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1702 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3456.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 3 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAJNIKANT PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 3

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 518.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1088.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18448 | 1278.00 | 19726.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15645 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1703 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3465.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 4 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAJNIKANT PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 4

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 520.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 139.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1091.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18463 | 1281.00 | 19744.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15646 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1704 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3465.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 5 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : YURAJ PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 5

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 520.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 139.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1091.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 6405 | 1281.00 | 7686.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15647 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1705 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3465.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 6 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : YURAJ PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 6

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 520.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 139.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1091.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18463 | 1281.00 | 19744.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15648 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1706 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3465.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 7 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : YURAJ PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 7

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 520.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 139.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1091.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3206 | 1281.00 | 4487.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15649 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1707 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3465.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 8 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : YURAJ PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 8

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 520.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 139.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1091.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18463 | 1281.00 | 19744.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15650 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1708 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3465.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 9 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : YURAJ PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 9

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 520.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 139.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1091.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18463 | 1281.00 | 19744.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15651 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1709 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3699.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 10 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAGDISH PURANCHAND AGRAWAL

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 10

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 555.00 | | <p>1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे.</p> <p>2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे)</p> <p>3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल.</p> <p>4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल.</p> <p>5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल.</p> <p>6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल.</p> <p>7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील.</p> <p>8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल.</p> |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 74.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 148.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 74.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 74.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 185.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 55.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1165.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 18.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 185.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 203.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18675 | 1368.00 | 20043.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15652 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1710 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3460.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 11 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAGDISH PURANCHAND AGRAWAL

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 11

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 519.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1089.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18445 | 1279.00 | 19724.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15653 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1711 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3942.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 12 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. KALAVATI SHALIGRAM KALE
JAGDISHPRASAD PURANCHAND AGRAWAL

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI
भुखंड क्र. : 12
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 591.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 79.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 158.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 79.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 79.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 197.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 59.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1242.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 20.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 197.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 217.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18586 | 1459.00 | 20045.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15654 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1712 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3456.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 13 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : CHANDRASHEKAR PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 13

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 518.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1088.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 11731 | 1278.00 | 13009.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15655 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1713 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3456.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 14 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : CHANDRASHEKAR PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 14

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 518.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1088.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 11728 | 1278.00 | 13006.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15656 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1714 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3456.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 15 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : CHANDRASHEKAR PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 15

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 518.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1088.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18426 | 1278.00 | 19704.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15657 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1715 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3456.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 16 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : CHANDRASHEKAR PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 16

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 518.00 | | <p>1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे.</p> <p>2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे)</p> <p>3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल.</p> <p>4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल.</p> <p>5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल.</p> <p>6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल.</p> <p>7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील.</p> <p>8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल.</p> |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1088.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18426 | 1278.00 | 19704.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15658 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1716 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3456.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 17 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : CHANDRASHEKAR PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 17

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 518.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1088.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18426 | 1278.00 | 19704.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15659 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1717 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3456.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 18 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : CHANDRASHEKAR PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 18

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 518.00 | | <p>1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे.</p> <p>2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे)</p> <p>3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल.</p> <p>4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल.</p> <p>5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल.</p> <p>6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल.</p> <p>7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील.</p> <p>8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल.</p> |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1088.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18426 | 1278.00 | 19704.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15660 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1718 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3150.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 19 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAJNIKANT PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 19

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 473.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 63.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 126.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 63.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 63.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 158.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 47.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 993.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 16.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 158.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 174.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 16815 | 1167.00 | 17982.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15661 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1719 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3150.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 20 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAJNIKANT PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 20

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 473.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 63.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 126.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 63.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 63.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 158.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 47.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 993.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 16.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 158.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 174.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 16815 | 1167.00 | 17982.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील
स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15662 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1720 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4086.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 21 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAJNIKANT PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI
भुखंड क्र. : 21
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 613.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 82.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 163.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 82.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 82.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 204.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 61.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1287.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 20.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 204.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 224.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 21772 | 1511.00 | 23283.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15663 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1721 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7008.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 22 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. ASHALATA PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 22

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1051.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 140.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 280.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 140.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 140.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 350.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 105.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2206.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 35.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 420.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 455.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 38263 | 2661.00 | 40924.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15664 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1722 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 5820.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 23 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. ASHALATA PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 23

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 873.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 116.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 233.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 116.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 116.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 291.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 87.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1832.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 29.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 291.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 320.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 31014 | 2152.00 | 33166.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15665 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1723 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6369.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 24 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. ASHALATA PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 24

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 955.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 127.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 255.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 127.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 127.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 318.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 96.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2005.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 32.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 382.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 414.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 34767 | 2419.00 | 37186.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15666 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1724 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7157.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 26 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. ASHALATA PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 26

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1074.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 143.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 286.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 143.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 143.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 358.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 107.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2254.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 36.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 429.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 465.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 39069 | 2719.00 | 41788.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15667 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1725 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 10281.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 25 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SANGITA GANESH FIRKE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 25

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1542.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 206.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 411.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 206.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 206.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 514.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 154.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3239.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 51.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 617.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 668.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 56133 | 3907.00 | 60040.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15668 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1726 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3433.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 27 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAJNIKANT PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 27

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 515.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 137.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 172.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 51.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1082.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 172.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 189.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18316 | 1271.00 | 19587.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15669 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1727 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3366.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 28 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAKASH VITTHAL KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 28

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 505.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 67.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 135.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 67.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 67.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 168.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 50.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1059.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 168.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 185.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 23921 | 1244.00 | 25165.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15670 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1728 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2700.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 29 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DAGDU KISAN PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 29

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 405.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 54.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 108.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 54.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 54.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 135.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 41.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 851.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 108.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 122.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 14045 | 973.00 | 15018.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15671 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1729 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2700.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 30 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SANJAY GANGARAM PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 30

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 405.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 54.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 108.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 54.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 54.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 135.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 41.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 851.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 108.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 122.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 14045 | 973.00 | 15018.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15672 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1730 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2700.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 31 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PADMAKAR SHANKAR THAKUR
DILIP KISAN JADHAV

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 31

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 405.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 54.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 108.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 54.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 54.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 135.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 41.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 851.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 108.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 122.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 14045 | 973.00 | 15018.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15673 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1731 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2700.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 32 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : BALU RAJDHAR INGLE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 32

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 405.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 54.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 108.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 54.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 54.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 135.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 41.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 851.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 108.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 122.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 13895 | 973.00 | 14868.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15674 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1732 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2700.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 33 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : ANANDA DHUDKU BHIRHADE
ONKAR PANDIT SAINDANE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 33

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 405.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 54.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 108.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 54.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 54.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 135.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 41.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 851.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 108.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 122.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 13937 | 973.00 | 14910.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15675 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1733 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3404.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 34 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : YURAJ PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 34

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 511.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 68.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 136.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 68.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 68.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 170.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 51.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1072.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 170.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 187.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9813 | 1259.00 | 11072.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15676 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1734 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3960.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 35 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAJNIKANT PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 35

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 594.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 79.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 158.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 79.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 79.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 198.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 59.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1246.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 20.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 198.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 218.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 21101 | 1464.00 | 22565.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15677 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1735 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3960.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 36 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : CHANDRASHEKAR PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 36

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 594.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 79.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 158.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 79.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 79.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 198.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 59.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1246.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 20.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 198.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 218.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 21101 | 1464.00 | 22565.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15678 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1736 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3736.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 37 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. ASHALATA PRAKASH KALE
RAJENDRA VITTHAL CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 37

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 560.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 75.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 149.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 75.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 75.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 187.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 56.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1177.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 19.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 187.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 206.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 19916 | 1383.00 | 21299.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15679 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1737 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4356.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 38 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. ASHALATA PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 38

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 653.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 87.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 174.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 87.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 87.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 218.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 65.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1371.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 22.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 218.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 240.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 23215 | 1611.00 | 24826.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15680 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1738 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3600.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 39 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUMANBAI JAGNNATH WAGH
SHAKUNTALA ASHOK PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 39

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 540.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 72.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 144.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 72.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 72.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 180.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 54.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1134.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 18.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 180.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 198.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 17284 | 1332.00 | 18616.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15681 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1739 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3600.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 40 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : UDESINGH DAGDU PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 40

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 540.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 72.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 144.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 72.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 72.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 180.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 54.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1134.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 18.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 180.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 198.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 19184 | 1332.00 | 20516.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15682 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1740 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3600.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 41 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. ASHALATA PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 41

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 540.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 72.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 144.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 72.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 72.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 180.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 54.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1134.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 18.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 180.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 198.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 19184 | 1332.00 | 20516.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15683 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1741 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3600.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 42 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAKASH VITTHAL KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 42

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 540.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 72.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 144.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 72.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 72.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 180.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 54.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1134.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 18.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 180.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 198.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 19184 | 1332.00 | 20516.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15684 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1742 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3600.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 43 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAKASH VITTHAL KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 43

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 540.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 72.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 144.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 72.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 72.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 180.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 54.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1134.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 18.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 180.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 198.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 19184 | 1332.00 | 20516.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15685 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1743 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3600.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 44 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAKASH VITTHAL KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 44

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 540.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 72.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 144.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 72.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 72.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 180.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 54.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1134.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 18.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 180.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 198.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 19184 | 1332.00 | 20516.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15686 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1744 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3600.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 45 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAKASH VITTHAL KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 45

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 540.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 72.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 144.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 72.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 72.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 180.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 54.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1134.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 18.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 180.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 198.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 19184 | 1332.00 | 20516.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15687 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1745 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3600.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 46 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAKASH VITTHAL KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 46

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 540.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 72.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 144.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 72.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 72.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 180.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 54.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1134.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 18.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 180.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 198.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 19184 | 1332.00 | 20516.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15688 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1746 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4356.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 47 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAKASH VITTHAL KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 47

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 653.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 87.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 174.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 87.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 87.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 218.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 65.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1371.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 22.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 218.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 240.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 23215 | 1611.00 | 24826.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15689 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1747 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3732.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 48 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAKASH VITTHAL KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 48

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 560.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 75.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 149.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 75.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 75.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 187.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 56.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1177.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 19.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 187.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 206.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 19900 | 1383.00 | 21283.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15690 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1748 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3456.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 49 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SURESH GOVINDA MISTRI
SAU. USHA MADHUKAR SONAP

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 49

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 518.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1088.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 15713 | 1278.00 | 16991.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15691 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1749 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3456.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 50 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : KASTURABAI ANANDA CHAUDHARI
UTTOM ANANDA CHAUDHARI
RATAN ANANDA CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 50

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 518.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1088.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18425 | 1278.00 | 19703.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15692 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1750 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3465.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 51 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. KUSUM TUKARAM PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 51

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 520.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 139.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1091.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18463 | 1281.00 | 19744.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15693 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1751 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3456.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 52 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DURGADAS DATTATRY NEVE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 52

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 518.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1088.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18425 | 1278.00 | 19703.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15694 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1752 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3456.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 53 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DURGADAS DATTATRY NEVE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 53

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 518.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1088.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18425 | 1278.00 | 19703.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15695 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1753 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3456.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 54 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SUNANDA PADMAKAR NEVE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 54

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 518.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1088.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18425 | 1278.00 | 19703.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15696 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1754 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3518.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 55 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SUNANDA PADMAKAR NEVE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 55

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 528.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 70.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 141.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 70.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 70.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 176.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 53.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1108.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 18.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 176.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 194.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18761 | 1302.00 | 20063.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15697 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1755 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3484.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 56 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SUNANDA PADMAKAR NEVE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 56

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 523.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 70.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 139.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 70.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 70.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 174.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1098.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 174.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 191.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18569 | 1289.00 | 19858.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15698 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1756 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3456.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 57 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SUNANDA PADMAKAR NEVE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 57

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 518.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1088.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18425 | 1278.00 | 19703.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15699 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1757 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3456.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 58 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DURGADAS DATTATRY NEVE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 58

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 518.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1088.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18425 | 1278.00 | 19703.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15700 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1758 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3456.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 59 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DURGADAS DATTATRY NEVE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 59

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 518.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1088.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18425 | 1278.00 | 19703.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15701 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1759 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3456.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 60 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DIPAK NARAYAN SALUNKE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 60

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 518.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1088.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 19425 | 1278.00 | 20703.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15702 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1760 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3456.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 61 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : KUSUMANBAI SUKLAL NIKUMBH

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 61

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 518.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1088.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 19425 | 1278.00 | 20703.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15703 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1761 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3456.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 62 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUREKHA PRABHAKAR RADE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 62

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 518.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1088.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 11527 | 1278.00 | 12805.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15704 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1762 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3441.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 63 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. ALKA GANESH BAKSHI

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A PAI

भुखंड क्र. : 63

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 516.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 172.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1085.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 172.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 189.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18345 | 1274.00 | 19619.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15705 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 6667 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3465.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 50 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : KASTURABAI ANANDA CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1

भुखंड क्र. : 50

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 520.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 139.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1091.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 17562 | 1281.00 | 18843.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15706 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 6714 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1732.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 49 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SURESH GOVIND MISTRI

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 49

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 260.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 35.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 35.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 35.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 87.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 26.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 547.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 9.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 69.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 78.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9603 | 625.00 | 10228.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15707 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 6983 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2700.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 32 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : B.R. INGLE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 32

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 405.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 54.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 108.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 54.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 54.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 135.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 41.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 851.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 108.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 122.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 14967 | 973.00 | 15940.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15708 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 6750 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3600.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 39 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUMANBAI JAGANNATH WAGH
SHAKUNTALA ASHOK PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 39

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 540.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 72.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 144.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 72.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 72.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 180.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 54.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1134.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 18.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 180.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 198.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 20444 | 1332.00 | 21776.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15709 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 7248 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1732.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 49PAI |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SURESH GOVINDA MISTRI

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 49PAI

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 260.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 35.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 35.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 35.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 87.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 26.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 547.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 9.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 69.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 78.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8660 | 625.00 | 9285.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15710 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 7261 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3465.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 60 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DIPAK NARAYAN SALUNKE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 60

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 520.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 139.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1091.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 19675 | 1281.00 | 20956.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15711 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 5464 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3460.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : YUVRAJ PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A
 भुखंड क्र. : 1
 शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 519.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1089.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 19651 | 1279.00 | 20930.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15712 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 5465 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3699.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 10 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : YUVRAJ PRAKASH KALE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 10

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 555.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 74.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 148.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 74.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 74.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 185.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 55.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1165.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 18.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 185.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 203.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 19361 | 1368.00 | 20729.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|----------------|
| देयक क्र. : | 15713 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 5607 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 24602.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/8 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 5,6,7,16,17,18 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAVINDRA GHUGE
PRAMOD GHUGE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/8
भुखंड क्र. : 5,6,7,16,17,18
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 3690.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 492.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 984.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 492.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 492.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 1230.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 369.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 7749.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 123.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1476.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1599.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 132232 | 9348.00 | 141580.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15714 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 5661 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3942.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454*1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 12 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. KALAVATI SHALIGRAM KALE
JAGDISHPRASAD PURUCHAND

सि.स.नं. / गट नं. : 454*1A

भुखंड क्र. : 12

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 591.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 79.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 158.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 79.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 79.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 197.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 59.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1242.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 20.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 197.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 217.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 21949 | 1459.00 | 23408.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15715 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 5874 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2843.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/2C |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | --- |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : MUKESH RAMCHANDRA KUKREJA

सि.स.नं. / गट नं. : 454/2C

भुखंड क्र. : ---

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 426.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 57.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 114.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 57.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 57.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 142.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 43.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 896.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 114.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 128.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 14497 | 1024.00 | 15521.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15716 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 5978 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3456.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 50 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : KASTURABAI ANANDA CHAUDHARI
& ETC.

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 50

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 518.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1088.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 19634 | 1278.00 | 20912.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15717 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 6487 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3457.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 62 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUREKHA PRABHAKAR RADE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 62

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 519.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 173.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1089.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 173.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 190.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 19641 | 1279.00 | 20920.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15718 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 6564 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3514.50 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 11 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAGADISH P. AGARAWAL

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 11

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 527.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 70.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 141.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 70.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 70.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 176.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 53.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1107.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 18.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 176.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 194.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18984 | 1301.00 | 20285.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15719 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 6575 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 14030.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 454/1A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 54-57 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU.SUNANDA PADMAKAR NEVE

सि.स.नं. / गट नं. : 454/1A

भुखंड क्र. : 54-57

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2105.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 281.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 561.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 281.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 281.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 702.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 210.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 4421.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 70.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 842.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 912.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 31177 | 5333.00 | 36510.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15720 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9230 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 5832.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 21 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : KISHOR SOPAN SAWADKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4

भुखंड क्र. : 21

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 875.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 117.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 233.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 117.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 117.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 292.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 87.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1838.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 29.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 292.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 321.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 33142 | 2159.00 | 35301.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15721 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1763 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8640.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRABHAKAR GOTU SONAVANE

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4
भुखंड क्र. : 1
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1296.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 173.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 346.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 173.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 173.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 432.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 130.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2723.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 43.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 518.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 561.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 0 | 3284.00 | 3284.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15722 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1764 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 8100.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 2 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SUSHILA RAMESH ATTERDE
SAU. ANITA DILIPKUMAR KAMDAR

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4
भुखंड क्र. : 2
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1215.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 162.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 324.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 162.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 162.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 405.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 122.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2552.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 41.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 486.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 527.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 47116 | 3079.00 | 50195.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15723 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1765 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 10665.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 5 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAVINDRA DASHRATH SAPKALE

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4

भुखंड क्र. : 5

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1600.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 213.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 427.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 213.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 213.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 533.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 160.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3359.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 53.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 640.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 693.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 34908 | 4052.00 | 38960.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील
स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15724 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1766 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4331.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 6 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : NITIN KASHINATH TALELE

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4
भुखंड क्र. : 6
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 650.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 87.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 173.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 87.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 87.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 217.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 65.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1366.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 22.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 217.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 239.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 24612 | 1605.00 | 26217.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15725 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1767 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3937.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 7 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : ANIL SHAMLAL KUKREJA

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4

भुखंड क्र. : 7

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 591.00 | | <p>1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे.</p> <p>2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे)</p> <p>3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल.</p> <p>4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल.</p> <p>5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल.</p> <p>6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल.</p> <p>7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील.</p> <p>8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल.</p> |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 79.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 157.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 79.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 79.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 197.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 59.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1241.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 20.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 197.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 217.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 20997 | 1458.00 | 22455.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15726 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1768 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4252.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 9 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU.SINDHU DEVIDAS MAHAJAN

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4

भुखंड क्र. : 9

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 638.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 85.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 170.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 85.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 85.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 213.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 64.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1340.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 21.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 213.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 234.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 22723 | 1574.00 | 24297.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15727 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1769 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4252.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 10 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : MILIND MURLIDAR BHARAMBE

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4
भुखंड क्र. : 10
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 638.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 85.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 170.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 85.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 85.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 213.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 64.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1340.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 21.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 213.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 234.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 22723 | 1574.00 | 24297.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15728 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1770 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4803.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 11 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAMA DAULAT BAVISKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4

भुखंड क्र. : 11

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 720.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 96.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 192.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 96.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 96.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 240.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 72.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1512.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 24.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 240.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 264.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 25656 | 1776.00 | 27432.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15729 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1771 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6075.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 12 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SUREKHA VIKAS SANAP

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4

भुखंड क्र. : 12

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 911.00 | | <p>1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे.</p> <p>2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे)</p> <p>3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल.</p> <p>4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल.</p> <p>5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल.</p> <p>6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल.</p> <p>7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील.</p> <p>8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल.</p> |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 122.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 243.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 122.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 122.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 304.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 91.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1915.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 30.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 365.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 395.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 35149 | 2310.00 | 37459.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15730 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1772 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 5103.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 13 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : JAGDEV BADRIPRASAD GUPTA

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4

भुखंड क्र. : 13

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 765.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 102.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 204.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 102.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 102.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 255.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 77.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1607.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 26.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 255.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 281.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 20121 | 1888.00 | 22009.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15731 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1773 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3888.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 14 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRAKASH PUNDLIK MORE
SAU. JANABAI JAGAN KAPDE

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4
भुखंड क्र. : 14
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 583.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 78.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 156.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 78.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 78.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 194.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 58.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1225.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 19.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 194.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 213.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 20343 | 1438.00 | 21781.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15732 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1774 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4860.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 15 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. RAVINA RAJU SANAP

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4

भुखंड क्र. : 15

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 729.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 97.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 194.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 97.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 97.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 243.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 73.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1530.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 24.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 243.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 267.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 15607 | 1797.00 | 17404.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15733 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1775 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4212.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 16 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASANT RAMU LADVANJARI

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4

भुखंड क्र. : 16

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 632.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 84.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 168.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 84.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 84.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 211.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 63.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1326.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 21.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 211.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 232.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 30606 | 1558.00 | 32164.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15734 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1776 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4860.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 17 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : KISHOR SOPAN SAVATKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4

भुखंड क्र. : 17

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 729.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 97.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 194.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 97.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 97.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 243.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 73.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1530.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 24.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 243.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 267.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 27587 | 1797.00 | 29384.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15735 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1777 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4212.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 18 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASANT RAMU LADVANJARI

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4

भुखंड क्र. : 18

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 632.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 84.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 168.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 84.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 84.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 211.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 63.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1326.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 21.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 211.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 232.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 23362 | 1558.00 | 24920.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15736 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1778 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4860.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 19 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : KISHOR SOPAN SAVATKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4
 भुखंड क्र. : 19
 शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 729.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 97.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 194.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 97.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 97.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 243.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 73.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1530.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 24.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 243.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 267.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 27587 | 1797.00 | 29384.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15737 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1779 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4212.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 20 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. PADMABAI VASANT LADVANJARI

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4

भुखंड क्र. : 20

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 632.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 84.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 168.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 84.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 84.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 211.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 63.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1326.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 21.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 211.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 232.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 24920 | 1558.00 | 26478.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15738 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1780 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 5832.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 21 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : KISHOR SOPAN SAVATKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4

भुखंड क्र. : 21

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 875.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 117.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 233.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 117.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 117.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 292.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 87.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1838.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 29.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 292.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 321.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 33123 | 2159.00 | 35282.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15739 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1781 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4860.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 22 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : BHIKANRAO DAMUJI BORLE
BHAGWAN DAMUJI BORLE
NIVRUTTI DAMUJI BORLE
RAMKRISHNA DEVRAM KHAMBAT

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4
भुखंड क्र. : 22
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 729.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 97.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 194.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 97.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 97.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 243.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 73.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1530.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 24.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 243.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 267.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 24262 | 1797.00 | 26059.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15740 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1782 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3172.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 23 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. ANITA DILIPKUMAR KAMDAR

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4

भुखंड क्र. : 23

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 476.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 63.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 127.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 63.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 63.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 159.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 48.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 999.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 16.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 159.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 175.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18015 | 1174.00 | 19189.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15741 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1783 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3105.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 24 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : ISHAVAR BHAVDU GAVLI
BHASKAR DASHRATH KAPDE

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4
भुखंड क्र. : 24
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 466.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 62.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 124.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 62.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 62.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 155.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 47.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 978.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 16.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 155.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 171.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 12696 | 1149.00 | 13845.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15742 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1784 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3105.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 25 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. MALTI VASUDEV PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4
भुखंड क्र. : 25
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 466.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 62.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 124.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 62.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 62.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 155.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 47.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 978.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 16.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 155.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 171.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 17632 | 1149.00 | 18781.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15743 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1785 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3105.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 26 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : MAHENDRA SUKALAL NIKUMBH

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4

भुखंड क्र. : 26

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 466.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 62.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 124.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 62.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 62.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 155.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 47.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 978.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 16.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 155.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 171.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 17632 | 1149.00 | 18781.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15744 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1786 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3240.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 27 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : YURAJ EKNATH NIRKHE
ANIL EKNATH NARKHEDE

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4
भुखंड क्र. : 27
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 486.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 65.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 130.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 65.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 65.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 162.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 49.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1022.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 16.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 162.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 178.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18404 | 1200.00 | 19604.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15745 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1787 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3240.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 28 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : BALU PITAMBAR KAPDE
SHIVAJI TUKADU NIKUMBH

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4
भुखंड क्र. : 28
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 486.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 65.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 130.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 65.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 65.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 162.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 49.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1022.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 16.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 162.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 178.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18404 | 1200.00 | 19604.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15746 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1788 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3442.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 29 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAMESH UKHARDU TANDALE

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4

भुखंड क्र. : 29

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 516.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 172.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1085.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 172.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 189.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 19566 | 1274.00 | 20840.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15747 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1789 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3240.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 30 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. PADMABAI VASANT LADVANJARI

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4

भुखंड क्र. : 30

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 486.00 | | <p>1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे.</p> <p>2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे)</p> <p>3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल.</p> <p>4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल.</p> <p>5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल.</p> <p>6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल.</p> <p>7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील.</p> <p>8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल.</p> |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 65.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 130.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 65.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 65.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 162.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 49.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1022.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 16.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 162.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 178.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18404 | 1200.00 | 19604.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15748 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1790 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3105.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 31 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : CHHAYA VIJAYKUMAR PANPALIYA
(MINA RAJU BHAVSAR)

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4
भुखंड क्र. : 31
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 466.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 62.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 124.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 62.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 62.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 155.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 47.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 978.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 16.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 155.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 171.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 15145 | 1149.00 | 16294.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15749 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1791 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3969.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 32 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. PADMABAI VASANT LADVANJARI

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4

भुखंड क्र. : 32

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 595.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 79.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 159.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 79.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 79.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 198.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 60.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1249.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 20.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 198.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 218.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 22520 | 1467.00 | 23987.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15750 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1792 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3888.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 33 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. PADMABAI VASANT LADVANJARI

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4

भुखंड क्र. : 33

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 583.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 78.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 156.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 78.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 78.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 194.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 58.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1225.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 19.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 194.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 213.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 21871 | 1438.00 | 23309.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15751 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1793 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3888.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 34 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. PADMABAI VASANT LADVANJARI

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4

भुखंड क्र. : 34

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 583.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 78.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 156.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 78.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 78.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 194.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 58.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1225.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 19.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 194.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 213.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 21871 | 1438.00 | 23309.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15752 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1794 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3888.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 35 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. MADAVI SANJAY JOSHI
BHASKAR YASHVANT DEORE
(PUSHPABAI BHASKAR DEORE)

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4
भुखंड क्र. : 35
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 583.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 78.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 156.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 78.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 78.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 194.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 58.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1225.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 19.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 194.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 213.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 21871 | 1438.00 | 23309.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15753 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1795 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3888.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 36 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. PADMABAI VASANT LADVANJARI

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4

भुखंड क्र. : 36

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 583.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 78.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 156.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 78.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 78.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 194.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 58.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1225.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 19.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 194.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 213.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 22471 | 1438.00 | 23909.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15754 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1796 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3564.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 37 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. PADMABAI VASANT LADVANJARI

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4

भुखंड क्र. : 37

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 535.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 71.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 143.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 71.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 71.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 178.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 53.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1122.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 18.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 178.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 196.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 20233 | 1318.00 | 21551.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15755 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 1797 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3888.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 38 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SHALINI DINANATH LAVANGLE
GANESH RATNAKAR ATRE

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4
भुखंड क्र. : 38
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 583.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 78.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 156.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 78.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 78.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 194.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 58.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1225.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 19.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 194.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 213.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 22471 | 1438.00 | 23909.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासांना साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील



स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.

| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15756 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 6890 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3564.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 37 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. PADMABAI VASANT LADVANJARI

सि.स.नं. / गट नं. : 455
भुखंड क्र. : 37
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 535.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 71.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 143.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 71.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 71.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 178.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 53.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1122.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 18.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 178.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 196.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18658 | 1318.00 | 19976.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15757 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 5470 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4331.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 6 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : LAJVANTIBAI DHOLANDAS AHUJA

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4PAI

भुखंड क्र. : 6

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 650.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 87.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 173.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 87.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 87.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 217.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 65.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1366.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 22.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 217.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 239.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 23174 | 1605.00 | 24779.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15758 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 6589 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 1620.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 22 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAMKRUSHANA DEVRAM KHAMBAYAT

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4

भुखंड क्र. : 22

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 243.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 32.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 65.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 32.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 32.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 81.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 24.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 509.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 8.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 65.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 73.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8972 | 582.00 | 9554.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15759 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 6757 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 10665.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4 PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 5 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : RAVINDRA DASHRATH SAPKALE

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4 PAI

भुखंड क्र. : 5

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1600.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 213.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 427.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 213.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 213.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 533.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 160.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 3359.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 53.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 640.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 693.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 62066 | 4052.00 | 66118.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15760 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 6814 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4050.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 455/4 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 2 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. SUSHILA RAMESH ATTARDE

सि.स.नं. / गट नं. : 455/4

भुखंड क्र. : 2

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 608.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 81.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 162.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 81.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 81.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 203.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 61.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1277.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 20.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 203.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 223.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 21219 | 1500.00 | 22719.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15761 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 7048 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6242.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 445/2A |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 31 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PURUSHOTTAM TRAMBAK ROTE

सि.स.नं. / गट नं. : 445/2A

भुखंड क्र. : 31

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 936.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 125.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 250.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 125.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 125.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 312.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 94.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1967.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 31.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 375.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 406.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 25649 | 2373.00 | 28022.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15762 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 7551 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3219.30 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 456/2 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 83 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP ANADA KOLHE
(HAMID YUSUF)
(DHANSUKH PATEL)

सि.स.नं. / गट नं. : 456/2
भुखंड क्र. : 83
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 483.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 64.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 129.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 64.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 64.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 161.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 48.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1013.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 16.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 161.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 177.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 17016 | 1190.00 | 18206.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15763 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 7756 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3438.90 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 456/1 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 22 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. KOKILA RAMESH PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 456/1
भुखंड क्र. : 22
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 516.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 69.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 138.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 69.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 69.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 172.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 52.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1085.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 172.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 189.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 18404 | 1274.00 | 19678.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|-------------------|
| देयक क्र. : | 15764 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9354 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 19251.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 456/2 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 76,77,78,91,92,93 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP ANANDA KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 456/2
 भुखंड क्र. : 76,77,78,91,92,93
 शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 2888.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 385.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 770.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 385.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 385.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 963.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 289.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 6065.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 96.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 1155.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 1251.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 105598 | 7316.00 | 112914.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15765 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9355 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 5130.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 450/3 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 13 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : GHUGE CONSTRUCTION
PROP. RAVINDAR MADHUKAR GHUGE

सि.स.नं. / गट नं. : 450/3
भुखंड क्र. : 13
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 770.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 103.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 205.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 103.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 103.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 257.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 77.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1618.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 26.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 257.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 283.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 29165 | 1901.00 | 31066.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15766 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 5279 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3105.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 456/1 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 12 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : NARENDRA VISHANADAS KAVANA
JAGDISH VISHANDAS KAVANA

सि.स.नं. / गट नं. : 456/1

भुखंड क्र. : 12

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 466.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 62.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 124.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 62.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 62.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 155.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 47.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 978.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 16.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 155.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 171.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9896 | 1149.00 | 11045.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15767 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 5288 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3213.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 456/1 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 9 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : JANAKIDEVE DAYANAND KESWANI

सि.स.नं. / गट नं. : 456/1

भुखंड क्र. : 9

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 482.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 64.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 129.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 64.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 64.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 161.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 48.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1012.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 16.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 161.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 177.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 10239 | 1189.00 | 11428.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील



स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.

| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15768 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 5372 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3415.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 456/15 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 24 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : PRITAM KANHAIYALAL MATANI

सि.स.नं. / गट नं. : 456/15
भुखंड क्र. : 24
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 512.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 68.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 137.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 68.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 68.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 171.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 51.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1075.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 171.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 188.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 17889 | 1263.00 | 19152.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15769 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 5373 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3415.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 456/1 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 23 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. ANITA DILIPKUMAR KAMDAR
(PADMABAI PUNDLIK CHIMANKAR)

सि.स.नं. / गट नं. : 456/1
भुखंड क्र. : 23
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 512.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 68.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 137.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 68.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 68.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 171.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 51.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1075.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 171.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 188.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 54127 | 1263.00 | 55390.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15770 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 5434 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2970.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 456/1 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 7 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. KUMUDINI PADMAKAR PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 456/1

भुखंड क्र. : 7

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 446.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 59.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 119.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 59.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 59.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 149.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 45.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 936.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 15.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 119.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 134.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 9793 | 1070.00 | 10863.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15771 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 5517 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3786.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 456/1 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 27 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. MINAKSHI BHASKAR BARHATE
ASHOK MULCHAND SALECHA

सि.स.नं. / गट नं. : 456/1
भुखंड क्र. : 27
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 568.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 76.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 151.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 76.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 76.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 189.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 57.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1193.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 19.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 189.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 208.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 50186 | 1401.00 | 51587.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15772 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 5599 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3219.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 456/2 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 84 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP JAIN

सि.स.नं. / गट नं. : 456/2

भुखंड क्र. : 84

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 483.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 64.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 129.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 64.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 64.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 161.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 48.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1013.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 16.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 161.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 177.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 17553 | 1190.00 | 18743.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15773 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 5600 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3219.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 456/2 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 82 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. MADHUBALA DILIP JAIN
DILIP ANANDA KOLHE
(HAMID YUSUF)
(HITENDRA HIRABHAI PATEL)

सि.स.नं. / गट नं. : 456/2
भुखंड क्र. : 82
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 483.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 64.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 129.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 64.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 64.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 161.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 48.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1013.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 16.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 161.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 177.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 17016 | 1190.00 | 18206.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15774 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 5628 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6435.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 456/2 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 76,3 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. BHARATI BHUPENDRA PALAN
(DHAVAL RAJNIKANT MEHARA)

सि.स.नं. / गट नं. : 456/2

भुखंड क्र. : 76,3

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 965.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 129.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 257.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 129.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 129.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 322.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 97.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2028.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 32.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 386.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 418.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 24483 | 2446.00 | 26929.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श हर म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15775 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 5630 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6438.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 456./2 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 91,78 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : CHANDRAKANT VELJI PALAN

सि.स.नं. / गट नं. : 456./2

भुखंड क्र. : 91,78

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 966.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 129.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 258.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 129.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 129.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 322.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 97.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2030.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 32.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 386.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 418.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 34620 | 2448.00 | 37068.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15776 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 5631 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 6438.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 456/2 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 92.,77 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. PRADNY VINOD PALAN

सि.स.नं. / गट नं. : 456/2

भुखंड क्र. : 92.,77

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 966.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 129.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 258.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 129.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 129.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 322.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 97.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2030.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 32.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 386.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 418.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 34620 | 2448.00 | 37068.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15777 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 5672 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2880.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 456/2 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 12 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP ANANDA KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 456/2

भुखंड क्र. : 12

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 432.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 58.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 115.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 58.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 58.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 144.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 43.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 908.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 115.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 129.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 15326 | 1037.00 | 16363.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15778 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 5673 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2880.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 456/2 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 13 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP ANANDA KOLHE
RAM DAULAT BAVISKAR

सि.स.नं. / गट नं. : 456/2
भुखंड क्र. : 13
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 432.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 58.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 115.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 58.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 58.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 144.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 43.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 908.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 115.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 129.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 14046 | 1037.00 | 15083.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15779 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 5674 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 5760.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 456/2 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 14 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP ANANDA KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 456/2

भुखंड क्र. : 14

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 864.00 | | <p>1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे.</p> <p>2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे)</p> <p>3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल.</p> <p>4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल.</p> <p>5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल.</p> <p>6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल.</p> <p>7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील.</p> <p>8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल.</p> |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 115.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 230.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 115.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 115.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 288.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 86.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1813.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 29.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 288.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 317.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 31424 | 2130.00 | 33554.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15780 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 5675 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 7520.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 456/2 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 15 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP ANANDA KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 456/2

भुखंड क्र. : 15

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 1128.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 150.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 301.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 150.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 150.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 376.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 113.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 2368.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 38.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 451.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 489.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8513 | 2857.00 | 11370.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15781 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 5676 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3701.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 456/2 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 16 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP ANANDA KOLHE

सि.स.नं. / गट नं. : 456/2

भुखंड क्र. : 16

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---|
| 1 | सामान्य कर | | 555.00 | | <p>1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे.</p> <p>2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे)</p> <p>3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल.</p> <p>4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल.</p> <p>5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल.</p> <p>6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल.</p> <p>7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील.</p> <p>8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल.</p> |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 74.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 148.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 74.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 74.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 185.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 56.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1166.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 19.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 185.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 204.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 20202 | 1370.00 | 21572.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15782 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 5677 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3701.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 456/2 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 17 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DILIP ANANDA KOLHE
PAVAN GANPAT DEKHLE
TRYAMBAK YASHWANT DEKHLE

सि.स.नं. / गट नं. : 456/2
भुखंड क्र. : 17
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 555.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 74.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 148.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 74.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 74.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 185.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 56.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1166.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 19.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 185.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 204.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 12986 | 1370.00 | 14356.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15783 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 5807 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3219.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 456/2 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 81 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUNIL BABURAO BARI

सि.स.नं. / गट नं. : 456/2

भुखंड क्र. : 81

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 483.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 64.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 129.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 64.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 64.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 161.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 48.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1013.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 16.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 161.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 177.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 16850 | 1190.00 | 18040.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15784 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 5862 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 5568.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 456/1 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SHRI. OM BALKISAN AGRAWAL

सि.स.नं. / गट नं. : 456/1

भुखंड क्र. : 1

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 835.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 111.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 223.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 111.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 111.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 278.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 84.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1753.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 28.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 278.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 306.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 29744 | 2059.00 | 31803.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15785 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 5990 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4309.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 456/1 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 37 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUDESH ANANTRAI SHAH

सि.स.नं. / गट नं. : 456/1

भुखंड क्र. : 37

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 646.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 86.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 172.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 86.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 86.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 215.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 65.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1356.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 22.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 215.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 237.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 22551 | 1593.00 | 24144.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15786 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 5997 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3219.30 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 456/2 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 80 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SOPAN PRALHAD CHAUDHARI

सि.स.नं. / गट नं. : 456/2

भुखंड क्र. : 80

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 483.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 64.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 129.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 64.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 64.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 161.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 48.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1013.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 16.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 161.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 177.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 16121 | 1190.00 | 17311.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15787 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 6452 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3415.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 456/1 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 25 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SUSHILA SURESH JAIN

सि.स.नं. / गट नं. : 456/1
 भुखंड क्र. : 25
 शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 512.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 68.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 137.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 68.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 68.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 171.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 51.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1075.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 171.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 188.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 17889 | 1263.00 | 19152.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15788 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 6091 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 5568.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 456/2 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : ANIL KEWALCHAND DESARDA

सि.स.नं. / गट नं. : 456/2

भुखंड क्र. : 1

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 835.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 111.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 223.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 111.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 111.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 278.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 84.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1753.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 28.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 278.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 306.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 16360 | 2059.00 | 18419.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15789 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 6513 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3220.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 456/2 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 87 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. MANISHA KISHOR PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 456/2

भुखंड क्र. : 87

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 483.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 64.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 129.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 64.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 64.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 161.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 48.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1013.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 16.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 161.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 177.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 16850 | 1190.00 | 18040.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15790 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 6663 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3016.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 456/2 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 25 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SURESHKUMAR KISANCHAND BALANI

सि.स.नं. / गट नं. : 456/2

भुखंड क्र. : 25

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 452.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 60.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 121.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 60.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 60.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 151.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 45.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 949.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 15.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 151.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 166.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 15959 | 1115.00 | 17074.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15791 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 6829 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3219.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 456/2PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 52 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : DIGAMBAR KESHAV JADHAV

सि.स.नं. / गट नं. : 456/2PAI

भुखंड क्र. : 52

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 483.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 64.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 129.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 64.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 64.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 161.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 48.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1013.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 16.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 161.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 177.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3570 | 1190.00 | 4760.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15792 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 6830 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3219.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 456/2PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 53 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : MANOHAR LAXMAN GAYKWAD
DNYANSHVAR DASHARAT JADHAV

सि.स.नं. / गट नं. : 456/2PAI

भुखंड क्र. : 53

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 483.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 64.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 129.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 64.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 64.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 161.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 48.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1013.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 16.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 161.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 177.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 3570 | 1190.00 | 4760.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15793 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 6837 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3219.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 456/2PAI |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 79 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SANJAY SUKDEV BONDE

सि.स.नं. / गट नं. : 456/2PAI

भुखंड क्र. : 79

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 483.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 64.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 129.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 64.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 64.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 161.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 48.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1013.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 16.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 161.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 177.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 16849 | 1190.00 | 18039.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील
स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15794 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9089 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 4368.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 457/1 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 5 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU. BHARTI ASHOK PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 457/1
भुखंड क्र. : 5
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 655.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 87.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 175.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 87.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 87.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 218.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 66.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1375.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 22.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 218.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 240.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 24967 | 1615.00 | 26582.00 | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15795 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9090 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3569.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 457/1 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 13 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : ROHINI SURESH PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 457/1
 भुखंड क्र. : 13
 शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 535.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 71.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 143.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 71.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 71.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 178.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 54.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1123.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 18.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 178.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 196.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 21051 | 1319.00 | 22370.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
 बिल मिळाल्याचा दिनांक
 बजावणीदाराची सही
 दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15796 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9091 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3360.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 457/2 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 26C |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : SAU.BHARATI KAILAS SONAWANE

सि.स.नं. / गट नं. : 457/2

भुखंड क्र. : 26C

शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 504.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 67.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 134.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 67.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 67.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 168.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 50.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1057.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 168.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 185.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 17303 | 1242.00 | 18545.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15797 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9092 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2871.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 457/2 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 1 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : LAXMAN MADHAV KOLHE
(S.K. ENTERPRISES)

सि.स.नं. / गट नं. : 457/2
भुखंड क्र. : 1
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 431.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 57.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 115.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 57.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 57.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 144.00 | | 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 7 | रस्ताकर | | 43.00 | | 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 904.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 14.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 115.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| 11 | वारंट फी | | | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 129.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 8290 | 1033.00 | 9323.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15798 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9093 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 2970.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 457/2 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 2 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : MOHINI MANAKRAM
(S.K. ENTERPRISES)

सि.स.नं. / गट नं. : 457/2
भुखंड क्र. : 2
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 446.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 59.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 119.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 59.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 59.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 149.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 45.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 936.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 15.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 119.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 134.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 11772 | 1070.00 | 12842.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

खुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15799 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9094 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3312.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 457/2 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 3 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : VASANT KRISHNA CHAUDHARI
SWATI DINKAR PATIL

सि.स.नं. / गट नं. : 457/2
भुखंड क्र. : 3
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|-------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 497.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. 4) रेखांकीत धनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या धनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. 5) धनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 66.00 | | |
| 3 | साफसफाई कर | | 132.00 | | |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 66.00 | | |
| 5 | अग्निशमन कर | | 66.00 | | |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 166.00 | | |
| 7 | रस्ताकर | | 50.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1043.00 | | |
| 8 | वृक्षकर | | 17.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 166.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 183.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 19554 | 1226.00 | 20780.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिकक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या

जळगांव शहर महानगरपालिका, जळगांव

फोन : 2222261, 62, 63, 64, 65 फॅक्स : (0257)2222260

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 128(1) अन्वये मागणी बील

स्वुली जमिन मालमत्ता कर निर्धारण व संकलन विभाग.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| देयक क्र. : | 15800 | मागणी नोंदवही अनुक्रमांक : | 9095 |
| करयोग्य मुल्य : रु. | 3948.00 | शिवाराचे नांव : | MEHRUN |
| प्रशासकीय प्रभाग क्र. : | 3 | सि.स.नं. / गट नं. : | 457/2 |
| भाग क्रमांक : | 9 | भुखंड क्र. : | 4 |
| | | मागणी देयकाचा कालावधी : | सन 2014-2015 |

मिळकत धारकाचे नांव : LAXMAN MADHAV KOLHE
(DHARAMSING PRALHAD PATIL)

सि.स.नं. / गट नं. : 457/2
भुखंड क्र. : 4
शिवाराचे नांव : MEHRUN

| अ.क्र. | कराचे नांव | मागील येणे रक्कम | 2014-15 सालाची रक्कम | एकूण | मालमत्ता धारकांना सूचना : |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--|
| 1 | सामान्य कर | | 592.00 | | 1) कराधान नियम-30 नुसार मालमत्ता कर आगाऊ देय आहे. |
| 2 | पाणी पुरवठा लाभकर | | 79.00 | | 2) फक्त अ.नं. 1 ते 7 च्या बाबींना अधिनियमाचे कलम 140(अ) व 140(ब) अन्वये महापालिकेने पारित केलेला ठराव क्र.321 दि.13/8/09 नुसार सुट (Rebate) अनुज्ञेय असेल (कृपया तपशिलासाठी मागील पृष्ठ पहावे) |
| 3 | साफसफाई कर | | 158.00 | | 3) कराची रक्कम शक्यतो डिमांड ड्राफ्ट अथवा रोखीने भरण्यात यावी. रोखीने अथवा डिमांड ड्राफ्टने भरणा केल्यास पावती त्याच वेळेस देण्यात येईल. |
| 4 | मलप्रवाह सुविधा लाभकर | | 79.00 | | 4) रेखांकीत घनादेशाद्वारेही कराची रक्कम स्विकारली जाईल. तथापि भरणा केलेल्या घनादेशाची रक्कम प्रत्यक्ष महानगर पालिका खाती जमा झाल्यावर पक्की पावती देण्यात येईल व अशी पावती नेण्याची जबाबदारी मालमत्ता धारकाची राहिल. |
| 5 | अग्निशमन कर | | 79.00 | | 5) घनादेश न वटल्यास निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 6 | म.न.पा. शिक्षण उपकर | | 197.00 | | 6) बिल दिल्यानंतर त्याची रक्कम 15 दिवसांत भरणा करावी अथवा ते न भरण्याबाबत आयुक्तांचे समाधान होईल असा खुलासा न केल्यास मागणीची नोटीस व जप्तीचे अधिपत्र काढून सर्व खर्चासहीत रक्कम वसूल करण्यात येईल. |
| 7 | रस्ताकर | | 59.00 | | 7) सदर बिलामध्ये मुदतकाळात मालमत्ता कर पात्र रक्कमेमध्ये वाढ झाल्यास त्या संबंधीची पुरवणी अथवा फरकाची बिले देण्यात येतील. |
| | अ.नं. 1 ते 7 ची एकूण बेरीज | | 1243.00 | | 8) बिलाची रक्कम सुटी खेरीज कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10 ते सायं. 5 वाजेपर्यंत स्विकारण्यात येईल. |
| 8 | वृक्षकर | | 20.00 | | |
| 9 | महाराष्ट्र शिक्षण कर | | 197.00 | | |
| 10 | नोटीस फी | | | | |
| 11 | वारंट फी | | | | |
| 12 | इतर (दंडव्याज, वसुलीचा खर्च इ.) | | | | |
| | अ.नं. 8 ते 12 ची एकूण बेरीज | | 217.00 | | |
| | अ.नं. 1 ते 12 ची एकूण बेरीज | 20660 | 1460.00 | 22120.00 | |

बिल मिळाल्याची सही
बिल मिळाल्याचा दिनांक
बजावणीदाराची सही
दिनांक

कर अधिक्षक

प्रभाग अधिकारी

उपआयुक्त (महसुल)

ज ळ गां व श ह र म हा न ग र पा लि का, ज ळ गां व

वेळेवर कर भरा व शहर विकासासाठी साथ द्या